

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2002

का.आ. 1125(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 206( अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने विठ्ठलभाई फाउन्डेशन, पुरुषोत्तम पार्क, देहगाम, अहमदाबाद, गुजरात-382305 द्वारा देहगाम, अहमदाबाद, गुजरात में आशीर्वाद नेत्र और जनरल अस्पताल के संचालन के लिए उपस्करों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 15 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 507( अ०) द्वारा आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विठ्ठलभाई फाउन्डेशन, पुरुषोत्तम पार्क, देहगाम, अहमदाबाद, गुजरात-382305 द्वारा देहगाम, अहमदाबाद, गुजरात में आशीर्वाद नेत्र और जनरल अस्पताल के लिए उपस्करों और संचालन की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र इकहतर लाख, उनसठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[ सं. 323-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002 ]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)